न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 78/ 2019

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 हरकचंद पुत्र बस्तीमल जाति जैन, निवासी जाडन तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी फर्स्ट कॉस रोड़, रॉबसन पेठ के.जी.एफ. बैगलोर (कनार्टका)।	1.	अशोक संचेती पुत्र हुकमीचंद संचेती
2 लीलावती पुत्री पी. बस्तीमल पत्नी प्रकाश चन्द जाति ओसवाल निवासी जाडन तहसील मारवाड़ जक्शन जिला पाली, हाल निवासी बैंगलोर बहैसियत आममुख्तीयार हरकचन्द पुत्र बस्तीमल जाति जैन, निवासी जाडन तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली, हाल निवासी फर्स्ट कॉस रोड़, रॉबसन पेठ के.जी.एफ. बैगलोर (कनार्टका)।	2.	अरविन्द संचेती पुत्र हुकमीचंद संचेती
	3.	दिलीप संचेती पुत्र हुकमीचंद संचेती
	4.	संजय संचेती पुत्र हुकमीचंद संचेती
	5.	आशा पत्नी संजय संचेती
	6.	सरिता पत्नि अरविन्द संचेती जातिगण जैन निवासीगण नयापुरा सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
	7.	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**
2. **श्री गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।**

–:निर्णयः– दिनांक 18/09/2023

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खाता नंबर 1426 ख0स0 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710 तथा 1711 कुल खसरा 9 कुल रकबा 1.9900 है0 किस्म चा.सो. बंजड़ कृषि भूमि में पी. बस्तीराम पुत्र पुखराज का 1/2 हिस्सा एवं हुकमीचंद पुत्र पुखराज का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 1427 ख0नं0 1690, 1691, 1692 कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.2490 है0 किस्म गै.मु.बेरा, सड़ा, एवं रास्ता कृषि भूमि में पी. बस्तीराम पुत्र पुखराज का 1/4 हिस्सा एवं हुकमीचंद पुत्र पुखराज का 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 1601 ख0सं0 1694 रकबा 0.1920 है0 किस्म चा.सो. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 5 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 1478 ख0नं0 1695 रकबा 0.2020 है0, किस्म चा.सो. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 5 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 2320 ख0नं0 1696 रकबा 0.2140 है0 किस्म चा.सो. कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 01 से 04 के पिता हुकमीचंद का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 2044 ख0 नं0 1699 रकबा 0.5130 है0 किस्म मेंहदी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 6 का 1/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, खाता नंबर 2045 ख0नं0 1700, 1701, 1702, 1712, 1713, 1714 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.1600 है0 किस्म मेंहदी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा दर्ज सुदा है। उपरोक्त वर्णित कुछ कृषि भूमि में अन्य सहखातेदार है, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। उनका हिस्सा पर इस वाद से किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा, उपरोक्त पद 2(a) में वर्णित वादस्थ आराजीयात कृषि भुमि मरूधर ऐरोसिएट रोबशन पेठ जरिए प्रतिनिधि पी.बस्तीमल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

पुखराज 1/2 व हुकमीचन्द पुत्र पुखराज ओसवाल 1/2 सा.देह खातेदार हक की थी । पद 2(b) में वर्णित वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि मरूधर ऐसोसिएट रोबशन पेठ जरिए प्रतिनिधि पी.बस्तीमल पुत्र पुखराज 1/4 व हुकमीचन्द पुत्र पुखराज ओसवाल 1/4 सा.देह खातेदार हक की थी। बस्तीमल पुत्र श्री पुखराज के स्थान पर जरिए नामान्तरकरण संख्या 3761 के उनके उतराधिकारीगण हरकचन्द पुत्र पी.बस्तीमल 1/6 हिस्सा, लीलावती पुत्री पी.बस्तीमल 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज हुई तथा पद संख्या 2 (b) में वर्णित में कृषि भूमि में हरकचन्द पुत्र पी.बस्तीमल 1/12 हिस्सा, लीलावती पुत्री पी. बस्तीमल 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 सभी एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की सामलाती संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने आपस में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया है, जिसमें 65 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 का है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भुमि में पूर्व में बस्तीमल पुत्र पुखराज के द्वारा खरीद की गई थी। लेकिन हुकमीचन्द रिश्ते में साले होने से उनके नाम भी रजिस्ट्री में 1/2 दर्ज करवाया था। जिस वजह से राजस्व रेकर्ड में हुकमीचन्द पुत्र पुखराज का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था। हुकमीचन्द का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त कृषि भूमि के 1/2 हक हिस्से पर अपना हक जताने लगे तथा उक्त कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा हुए। उक्त कृषि भूमि का आपस में सेटलमेंट प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच किया गया। जिसके तहत आपसी सहमति इकरार दिनांक 07/02/2013 को निष्पादित किया गया। जिस इकरार में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में 65 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का निर्धारित कर इकरारनामा तहरीर एवं तकमील कर निष्पादित किया गया। उक्त कृषि भूमि को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर 65 प्रतिशत भागीदारी प्रार्थीगण की तथा 35 प्रतिशत भागीदारी अप्रार्थीगण की निर्धारित की गई। इस प्रकार उपरोक्त पद संख्या में वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि में 65 प्रतिशत कृषि भुमि पर प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की रही अप्रार्थी संख्या 05 अप्रार्थी संख्या 04 की व अप्रार्थी संख्या 06 अप्रार्थी संख्या 02 की पत्नी है। अप्रार्थी संख्या 04 व 02 ने अपनी पत्नी की ओर से उक्त इकरारनामा दिनांक 07/02/2013 को निष्पादित करवाया था। इसलिए अप्रार्थी संख्या 05 व 06 भी उक्त इकरारनामा से बाधित है। प्रार्थीगण ने अपने 1/2 हिस्सा यानि 50 प्रतिशत हिस्सा का बेचान कर दिया तथा उक्त कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम रहा। उक्त 15 प्रतिशत हिस्से की भूमि की मांग प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से की गई तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लगें तथा एक साथ उपस्थित होकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु आश्वासन देते रहे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में से 15 प्रतिशत हिस्से की रजिस्ट्री करवाने हेतु दिनांक 05/08/2019 को निवेदन किया तो अप्रार्थीगण बहाना बाजी करने लगे तथा उक्त भूमि में अपना नामान्तरकरण दर्ज करवाकर अन्य भू-माफियों को प्रार्थीगण के हिस्से सहित भूमि को बेचान हस्तानान्तरण करने पर आमदा हो गये। प्रार्थीगण द्वारा बार बार निवेदन करने पर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने से साफ इंकार कर दिया। प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि " किसी भी सूरत में 15 प्रतिशत हिस्सा नही देंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से वाद बाबत खातेदारी हक की घोषणा एवं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि से किसी अन्य को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र अन्तगर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त वादस्थ कृषि भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 से 06 की ओर से श्री गजेन्द्र कुमार मेहता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 ने जबाब प्रा0 पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 के तथ्य गलत होना एवं राजस्व मूल वाद ठोस एवं मजबूत आधारो पर पेश करना गलत एवं आधारहीन तथ्यों को छिपाकर मेलाफाईडली, वैक्सेसियस प्रस्तुत किया जान अंकित किया है। जिससे प्रार्थी कोई किसी तरह की सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकता। उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि अवश्य स्थित है। परन्तु वह प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की ही होना गलत लिखा उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी में मरूधर ऐसोसिएट रोबेशन पेट ... प्रतिनिधि पी. बस्तीमल पुत्र पुखराज 1/2 एवं हुकमीचंद पुत्र पुखराज ओसवाल 1/2 हिस्सा ... है तथा 2 (बी) में वर्णित कृषि भूमि मरूधर एसोसिएट रोबशन सा. देह प्रतिनिधि बस्तीमल पुत्र पुखराज, हुकमीचंद पुत्र पुखराज 1/2, सुजा, रतना, हरिकिशन पिसरान अचला 1/2 तथा ना0सं0 3360 दिनांक 02/09/2016 विरासत से अचला के स्थान पर कमला चौहान पत्नी रतनलाल, मुकेश पुत्र रतनलाल, उषा पुत्री रतनलाल कौम माली सा. देह दर्ज किया गया शेष खाता बदस्तुर रहा। 2 (ए) व 2 (बी) इस कृषि भूमि के सम्बन्ध में पी. बस्तीमल की मृत्यु होने के उपरान्त पी. बस्तीमल के उतराधिकारी पुत्र प्रार्थी हरकचंद पुत्र पुत्रीया कान्ता कंवर एवं लीलावती हुए। कान्ता कंवर ने अपना हक एवं हिस्सा लीलावती के हक में हकतर्क कर दिया तथा उसके पश्चात बी हरकचंद ने तहसीलदार सोजत के समक्ष इस कृषि भूमि में बस्तीमल के बाबत फौतेदगी म्यूटेशन हेतु कार्यवाही की व उसके समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया कि खसरा संख्या 1690 से 1692 व 1703 से 1711 रकबा कमशः 1.9900 हिस्सा 1/2 एवं 0.2600 हिस्सा 1/4 वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मरूधर एसोसिएट रोबशन पेठ साकिन देह प्रतिनिधि पी. बस्तीमल पुत्र पुखराज साकिन जाडन, हुकमीचंद पुत्र पुखराज 1/2, पोकर, सूजा, रतना, हरिकिशन पिसरान अचला 1/2 साकिन देह खातेदार दर्ज है उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि मरूधर ऐसोसियट रोवशन पेठ जरिये अप्रार्थी पी. बस्तीमल वगैरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन उक्त भूमि बावत कोई संस्था आदि नहीं है। केवल खरीद करते वक्त उक्तानुसार कय कर लिया गया था तथा यह भी अंकित किया गया कि उक्त भूमि बाबत कोई संस्था नही, न हो कोई विधान बनाया हुआ है। इस आधार पर तहसीलदार सोजत द्वारा म्यूटेशन 3761 दिनांक 11/06/2019 को स्वीकृत किया जाकर मरूधर एसोसियेट रोबरसन पेठ जरिये प्रतिनिधि पी. बस्तीमल पुत्र पुखराज 1/2 के स्थान पर मरूधर एसोसियेट पेठ जरिये प्रतिनिधि हरकचंद पुत्र पी. बस्तीमल 1/6.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

लीलावती पुत्री पी बस्तीमल 1/3 कौम ओसवाल सा जाडन शेष खाता बदस्तुर रहा दर्ज कर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान कर दी तथा इसके पश्चात प्रार्थी संख्या 1 ने बहैसियत स्वयं व बहैसियत आम मुख्तीयार प्रार्थी संख्या 2 लीलावती के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (ए) में वर्णित कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (बी) वर्णित कृषि भूमि का 1/4 हिस्सा का विक्रय बिना अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 हुकमीचंद के वारिसान को सूचित किये बिना अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को उनके अग्रक्रयाधिकार में उनको खरीदने हेतु प्रस्तावित किये केली पत्नी गणपतलाल, बालुराम पुत्र जसाराम, आदूराम भाटी पुत्र धीराराम व भंवरलाल पुत्र शंकरलाल को विक्रय कर दिया तथा इस तथ्य को प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया है, इस प्रकार प्रार्थीगण उन्हे उक्त तथाकथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट की शर्तो का भंग किया है। जिससे उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट अस्तित्व में नही है तथा इस कृषि भूमि के गलत रूप से खातेदारी हक का विक्रय कर देने से प्रार्थीगण वर्तमान में इस पद संख्या 1(ए) व 1(बी) में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार नहीं रहे हैं। इस कृषि भूमि को सह खातेदार पोकर, सूजा, हरिकिशन, कमला चौहान पत्नी रतनलाल, मुकेश पुत्र रतनलाल, उषा पुत्री रतनलाल भी है जिन्हे इस कृषि भूमि के खातेदारी हक के खरीद दान को पक्षकारान नहीं बनाया गया है तथा न ही कोई बंटवाड़ा हुआ है, न ही उक्त आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में से पक्षकार है न उनकी कोई सहमति ली गई है तथा प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी हक के विक्रय करने के तथ्य को छिपाया है एवं गलत रूप से यह कृषि भूमि अपने खातेदारी हक की बतायी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (सी) में वणित कृषि भूमि में मोहनलाल पुखराज का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 5 आशा का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा म्यूटेशन संख्या 2980 दिनांक 28/10/2013 के विरासत से मोहनलाल के स्थान पर सुरज बाई पत्नी मोहनलाल, सुनिल कुमार पुत्र मोहनलाल, तथा शेष खाता बदस्तुर तथा म्यूटेशन संख्या 3124 दिनांक 21/11/2014 बेचान के अनुसार सूरज बाई एवं सुनिल कुमार के स्थान पर बालुराम, भंवरलाल, गणपतलाल पुत्र मीनालाल, गणपतलाल पुत्र जगन्नाथ, हेमाराम, आदूराम पुत्र धीराराम, भीकी आई पत्नी नथाराम दर्ज किया गया, उक्त वर्णित कृषि भूमि न तो प्रार्थीगण के खातेदारी की है और न ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 एवं अप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी हक की है। प्रार्थना पत्र संख्या 2 (डी) की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में खातेदार मांगीलाल, मदनलाल पिसरान सोहनलाल, उज्जवला पुत्री सोहनलाल, अप्रार्थी संख्या 5 खातेदार दर्ज है तथा म्यूटेशन संख्या 3197 दिनांक 10/07/2015 से बेचान के अनुसार मांगीलाल, मदनलाल पिसरान सोहन, उज्जवल पुत्री सोहनलाल के साथ पर अप्रार्थी संख्या 6 सरिता को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीया संख्या 6 सरिता का 1/2 हिस्सा खातेदारी हक है। उक्त वर्णित कृषि भूमि न तो प्रार्थीगण के खातेदारी हक की है न ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी हक की है। इस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट से पूर्व में न तो पूर्व खातेदार मांगीलाल, मदनलाल एवं उज्जवला की कोई सहमति ली गई न ही अप्रार्थी संख्या 5 आशा की कोई सहमति ली गई न उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में अप्रार्थी संख्या 5 आशा एवं अप्रार्थी संख्या 6 सरिता कोई पक्षकार हैं। प्रार्थना पत्र पद संख्या 2 ई की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 मे खातेदार हुकमीचन्द पुत्र पुखराज संचेती (अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता) एवं गजरा बाई पत्नी केवल चन्द खातेदार दर्ज है। यह कृषि भूमि न तो प्रार्थीगण के खातेदारी हक की है, न ही

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के खातेदारी की, इस कृषि भूमि के सम्बन्ध में भी उक्त गजरा बाई से कोई सहमति नही ली गई न यह कृषि भूमि रोबशन पेट के नाम दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र पद संख्या 2 एफ में दर्ज कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में यह कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 6 सरिता का 1/10 हिस्सा, लक्ष्मीचन्द पुत्र पुखराज ओसवाल का 3/20 हिस्सा, हरकचन्द पुत्र बस्तीराम का 1/4, जवरीलाल पुत्र घीसाराम का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 अशोक संचेती का 1/4 का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 3069 दिनांक 17/07/2014 बेचान से जवरीलाल पुत्र घीसाराम 1/4 के स्थान पर जवरीलाल पुत्र घीसाराम 728.5/1282 साकिन पाली एच. नितेश पुत्र हरकचन्द बोहरा कोम ओसवाल के नाम दर्ज किया गया, शेष खाता बदस्तुर रहा। इस कृषि भूमि मे सन् 1985 से पूर्व चार आवासीय भूखण्ड बनाये गये थे। दिनांक 29/08/1995 को लक्ष्मीचन्द ने 17 गज × $58^{1/2}$ गज का तथा दिनांक 10/02/1992 को अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार ने 51 फुट × 175 फुट 5 इंच का, हरकचन्द ने लक्ष्मीचंद के भूखण्ड के पूर्व दिशा में तथा अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार के भूखण्ड के पूर्व दिशा में स्थित बनाये गये भूखण्ड के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से उपखण्ड अधिकारी सोजत से प्राप्त किये तथा अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार ने अपनी उक्त पट्टा सुदा भूखण्ड में 3 भूखण्ड बसाकर मध्य भाग में स्थित भूखण्ड 40 फुट × 58 फुट 6 इंच का बखसीस दिनांक 20/07/2015 के जरिये रजिस्टर्ड बख्सीसनामा के अप्रार्थी संख्या 2 अरविन्द कुमार के पक्ष में कर दिया। रेवेन्यू रेकर्ड में इनके सम्बन्ध में इन्द्राज नही हुए हुये है। इस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में अप्रार्थी संख्या 6 सरिता खातेदार लक्ष्मीचंद, की कोई सहमति नहीं ली गई वे इस सहमति पत्र में कतई पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पद संख्या 2 जी में वर्णित कृषि भूमि सम्वत् 2070 से 2073 की जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 6 सरिता 1/4 हिस्सा, हरकचंद पुत्र बस्तीराम 1/4, जवरीलाल पुत्र घीसाराम 1/4, अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 3069 दिनाक 17/07/2014 से जवरीलाल पुत्र घीसाराम 1/4 के स्थान पर एच. नितेश पुत्र हरकचंद बोहरा 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया, शेष खाता बदस्तुर रहा नामान्तरकरण संख्या 3295 दिनांक 20/05/2016 बेचान के अनुसार हरकचंद 1/4 व एच. नितेश 1/4 के स्थान पर बालुराम पुत्र जसाराम कौम सीरवी, भंवरलाल पुत्र शंकरलाल, गणपतलाल पुत्र मीनालाल, गणपतलाल पुत्र जगन्नाथ, आदुराम पुत्र धीराराम, राजाराम पुत्र नत्थाराम 1/2 दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार ने अपना 1/4 हिस्सा खातेदारी हक की वख्सीस दिनांक 17/07/2015 को जरिये रजिस्टर्ड बख्सीसनामा के अप्रार्थी संख्या 2 अरविन्द कुमार के पक्ष में कर दिया। रेवेन्यू रेकर्ड में इनके सम्बन्ध में इन्द्राज नहीं हुए है। यह कृषि भूमि के न तो प्रार्थीगण के खातेदारी हक की है और न ही अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 व 5 के खातेदारी हक की है। उक्त पद संख्या 2(ए) एवं 2(बी) में वर्णित कृषि भूमि सम्बन्ध में पी. बस्तीमल की मृत्यु होने के उपरान्त पी. बस्तीमल के उत्तराधिकारी पुत्र प्रार्थी हरकचंद एवं पुत्रीयां कान्ता कंवर एवं लीलावती के हक में हकतर्क कर दिया तथा उसके पश्चात बी हरकचंद ने तहसीलदार सोजत के समक्ष इस कृषि भूमि में बस्तीमल के बाबत फौतदगी म्यूटेशन हेतु कार्यवाही की व उसके समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया कि ख0सं0 1690 से 1692 व 1703 से 1711 रकबा क्रमशः 1.9900 हिस्सा 1/2 एवं 0.2600 हिस्सा 1/4 वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे मरूधर एसोसिएट रोबशन पेठ साकिन देह प्रतिनिधि पी. बस्तीमल पुत्र पुखराज साकिन जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हुकमीचंद पुत्र पुखराज 1/2, पोकर, सुजा, रतना, हरिकिशन पिसरान अचला 1/2 साकिन देह खातेदार दर्ज है उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि मरूधर एसोसियट रोबशन पेठ जरिये अप्रार्थी पी. बस्तीमल वगैरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि बाबत कोई संस्था आदि नही है केवल खरीद करते वक्त उक्तानुसर क्रय कर लिया गया था तथा यह भी अंकित किया गया कि उक्त भूमि बाबत कोई संस्था नहीं है, न ही कोई विधान बनाया हुआ है इस आधार पर तहसीलदार सोजत द्वारा म्यूटेशन संख्या 3761 दिनांक 11/06/2019 को स्वीकृत किया जाकर मरूधर एसोसियेट रोबरसन पेठ जरिये अप्रार्थी पी. बस्तीमल पुत्र पुखराज 1/2 के स्थान पर मरूधर एसोसियेट रोबरसन पेठ जरिये प्रतिनिधि हरकचंद पुत्र पी. बस्तीमल1/6, लीलावती पुत्री पी. बस्तीमल 1/3 सा जाडन, हुकमीचंद पुत्र पुखराज ओसवाल सा देह खातेदर दर्ज किया गया तथा इन्टरनेट से ही जमाबंदी की नकल मंगवा कर के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (ए) में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में उक्त जमाबंदी की नकल के अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तकरण संख्या व दिनांक के कॉलम में एम.एन. 3761/11.06.2019 आदेश से पी. बस्तीमल पुत्र पुखराज 1/2 के स्थान पर हरकचंद पुत्र पी. बस्तीमल 1/6, लीलावती पुत्री पी बस्तीमल 1/3 कौम ओसवाल सा जाडन. शेष खाता बदस्तुर रहा दर्ज कर उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान कर दी। उसके पश्चात प्रार्थी संख्या 1 ने बहैसियत स्वयं व बहैसियत आम मुख्तीयार प्रार्थी संख्या 2 लीलावती के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (ए) में वर्णित कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थना पत्र [illegible] संख्या 2 (बी) वर्णित कृषि भूमि का 1/4 हिस्सा का विक्रय बिना अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 हुकमीचंद के वारिसान को सूचित किये बिना अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को उनके अग्रक्रयाधिकार में उनको खरीदने हेतु प्रस्तावित किये केली पत्नी गणपतलाल, बालुराम पुत्र जसाराम, आदूराम भाटी पुत्र वीराराम व भंवरलाल पुत्र शंकरलाल को विक्रय कर दिया तथा इस तथ्य को प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया है। इस प्राकर प्रार्थीगण ने उक्त तथाकथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट की शर्तो का भंग किया है। जिससे उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट अस्तित्व में नही है। इस कृषि भूमि के सम्बन्ध में भी पूर्व खातेदार सरिता, की इस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट के सम्बन्ध में कोई सहमति नहीं दी गई और न ही इन्हे उक्त आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में पक्षकार बनाया गया। न ही इस प्रार्थना पत्र में इनको पक्षकरा बनाया गया है तथा वर्तमान खातेदार बालुराम, भंवरलाल, गणपतलाल, आदुराम, राजाराम, को भी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का सभी का एक ही परिवार के सदस्य होना गलत लिखा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 सगे भाई स्व0 हुकमीचंद संचेती के पुत्र अवश्य है, परन्तु सभी का अलग अलग परिवार है। अप्रार्थी संख्या 5 अप्रार्थी संख्या 4 संजय संचेती की पत्नी है, जो अप्रार्थी संख्या 4 के परिवार की सदस्या है एवं अप्रार्थी संख्या 5 सरिता, अप्रार्थी संख्या 2 अरविन्द संचेती की पत्नी है, जो अप्रार्थी संख्या 2 के परिवार की सदस्या है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की सामलाती संयुक्त रूप से काबिज होना बिल्कुल ही गलत लिखा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (ए) व 2 (बी) वर्णित किसी भी कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का हक एवं हिस्सा नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (सी) मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 6 का, 2(डी) में वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का, प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (ई) में वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 का, प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2(एफ) में वर्णित कृषि भूमि मे

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली

प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 का, 1(जी) में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 व 5 का कोई हक हिस्सा नहीं है। बंटवाड़ा सहखातेदारान या सह अंशदायी के मध्य होता है। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने कभी भी आपस में कोई किसी प्रकार का बंटवाडा नहीं करवाया तो आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, न तो कोई बंटवाड़ा हुआ है, न ही उसमें 65 प्रतिशत प्रार्थीगण का है, न ही 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का इन कृषि भूमियों में जो अन्य सह खातेदारान है, उनका भी हक व हिस्सा संयुक्त है, कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में यह बिल्कुल गलत लिखा है कि हुकमीचंद रिश्ते में साले होने से उनके नाम भी रजिस्ट्री में 1/2 दर्ज करवाया गया हो, जिस वजह से राजस्व रेकर्ड में हुकमीचंद पुत्र पुखराज का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा हो। प्रार्थीगण ने यह किस कृषि भूमि के सम्बन्ध में बताया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच कोई आपसी सहमति इकरार दिनांक 07/02/2013 को निष्पादित नहीं किया गया जिस इकरार में उक्त वर्णित कृषि भूमि में 65 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 निर्धारित हुआ हो। यह भी गलत लिखा है कि उक्त कृषि भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने पर 65 प्रतिशत भागीदारी प्रार्थीगण की तथा 35 प्रतिशत भागीदारी अप्रार्थीगण की निर्धारित की हुई हो, यह भी बिल्कुल ही गलत लिखा है कि इस प्रकार उक्त पद संख्या में वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि में 65 प्रतिशत कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की रही है, उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के 65 प्रतिशत खातेदारी हक प्रार्थीगण के व 35 प्रतिशत खातेदारी हक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के हो गये हो। ऐसा कथित सहमति एग्रीमेन्ट न तो विक्रय पत्र है, न बंटवाड़ा विलेख न ही कोई ऐसा दस्तावेज जिससे खातेदारी हक की कृषि भूमि का अन्तरण होता हो। ऐसे कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट से कोई वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदारी हक प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरर्निहित नहीं हुए। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 का भी कथित इकरारनामा से बाधित होना बिल्कुल ही गलत बताया हो। जबकि उन्होने अपने पतियो को ऐसा कोई इकरारनामा करने का अधिकार नहीं दिया हैं प्रार्थीगण का वाद्रस्त कृषि भूमि में कोई 15 प्रतिशत हिस्सा नहीं रहा हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 का जवाब इस प्रकार है कि एक असत्य को बार बार पुनरावर्ति करने से वह असत्य सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाता है। कथित एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 को आपसी सैटलमेन्ट कर 65 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थीगण का न तो निर्धारित किया गया और न ही उसके अनुसार मौके पर काबिज हुए। इस सम्बन्ध में विस्तृत जवाब उपर के पदो के जवाब में दिया जा चुका है। प्रार्थीगण ने अपने आधे हिस्सा यानि 50 प्रतिशत हिस्सा का बेचान किस कृषि भूमि के खातेदारी हक का किया है, यह नहीं बताया है, प्रार्थीगण ने जो बेचान किया है वह प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 (ए) एवं 2 (बी) में वर्णित खातेदारी हक की कृषि भूमि से किया है जो कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट की शर्तो के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी भी कृषि भूमि के 15 प्रतिशत हिस्से के खातेदारी हक अप्रार्थीगण से मांगने के अधिकारी नहीं है, उन्होने न तो किसी कृषि भूमि खातेदारी हक की माग अप्रार्थीगण से की और न ही अप्रार्थीगण ने कभी कोई प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु आश्वासन दिया। प्रार्थीगण का वादगरत कृषि भूमि में वर्णित किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा शेष नहीं रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 वादग्रस्त कृषि भूमि मे दर्ज उनके खातेदारी हक का विक्रय करने में स्वतंत्र है, प्रार्थीगण किसी भी सूरत में इस अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के अधिकार में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त किसी भी कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा है ही नहीं तो उसे खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण बिल्कुल ही गलत एवं झूठा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को हैरान, परेशान करने के लिये एवं ब्लैकमेल करने के लिये तथा उनके हको में बाधा उत्पन्न करने के लिये वाद प्रस्तुत किया है, जो वाद कतई चलने लायक नहीं है एवं यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2(ए) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा 3/10 हक हिस्सा, पद संख्या 1(बी) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा का 3/10 हिस्सा, पद संख्या 1(सी) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 5 आशा का 1/2 हिस्सा का 3/10 हिस्सा, पद संख्या 1 (डी) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 5 के आधे हिस्से का 3/10 हिस्सा, पद संख्या 1(ई) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा का 3/10 हिस्सा, पद संख्या 1(एफ) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 का 1/10 हिस्सा का 3/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 अशोक का 1/4 हिस्सा का 3/10 हिस्सा तथा पद संख्या 1 (जी) में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 अशोक कुमार का 1/4 हिस्सा का 3/10 हिस्सा की कृषि भूमि को माफिक कथित एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 के अनुसार प्रार्थीगण खातेदारी हक की घोषणा करवाने का अधिकारी होना बिल्कुल ही गलत एवं झूठ लिखा है। कथित एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 में ऐसी कोई शर्त अंकित नहीं है, न ही उस एग्रीमेन्ट के जरिये ऐसी किसी खातेदारी अधिकार का अन्तरण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि में से किस भूमि में किस अप्रार्थी का कितना हिस्सा है। उसका स्पष्ट उल्लेख वाद पत्र के पद संख्या 3 के जवाब में किया गया है। प्रार्थीगण ने वाद बाबत खातेदारी घोषणा हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिल्कुल ही गलत एवं झूठा प्रस्तुत किया हैं कथित एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 से प्रार्थीगण के हक में कोई किसी प्रकार के खातेदारी हक सृजित नहीं हुए है। प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया हैं वादग्रस्त कृषि भूमि में से किस भूमि में किस अप्रार्थी का कितना हिस्सा है, उसका स्पष्ट उल्लेख वाद पत्र के पद संख्या 3 के जवाब में किया गया है। प्रार्थीगण ने वाद बाबत खातेदारी घोषण हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिल्कुल ही गलत एवं झूठा प्रस्तुत किया है। कथित एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 से प्रार्थीगण के हक में कोई किसी प्रकार के खातेदारी हक सृजित नहीं हुए है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन कतई नहीं हैं अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी हक की कृषि भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, बक्सीस, रहन, वसीयत इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार है, इससे प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति नहीं होती है। यदि अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार से कोई रूकावट पैदा की जाती है तो अप्रार्थीगण को अवश्य अपूर्णिय क्षति होगी, जिसको कतई रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण कोई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र "आपसी सहमति एग्रीमेन्ट" को आधार बना कर के प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने वाद पत्र के सम्मन के साथ में जिस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट की फोटो प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रेषित की है, उसमे जानबूझकर उस कथित एग्रीमेन्ट के पेज नंबर 2 मे पेज नंबर 2 एवं उसकी प्रथम आधी पंक्ति पेज नंबर 3 में पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 मे पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 मे पेज नंबर 6, पेज नंबर 8 में पेज नंबर 8 व प्रथम पंक्ति "कोई भी पक्षकार निजी रूप से किसी प्रकार का प्रतिफल राशि करार, मुख्तीयार का विलोपन कर कूटरचित फोटो कॉपी का उपयोग कर न्यायालय मे पेश की है एवं उस कूटरचित की फोटो कॉपी का उपयोग कर न्यायालय से एकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपने पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को नुकसान पहुंचाने की बदनियत से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध प्राप्त कर धारा 467, 468 भारतीय दण्ड संहिता का गंभीर अपराध किया है, जिसे न्यायालय के संज्ञान में दिनांक 09/10/2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ला दिया गया है तथा न्यायालय से उनके द्वारा किये गये अपराध का प्रसंज्ञान लेने हेतु निवेदन कर दिया गया है। ऐसे विलोपन के आधार पर की गई कूटरचना से प्रार्थीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर उन्हे दण्डित करवाया जाना न्यायोचित है। उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में प्रथम पक्षकार में 2. बी. एच. विनोद कुमार पुत्री हरकचंद बोहरा जाति जैन निवासी फर्स्ट क्रास रार्बट्सन पेठ के0जी0एफ0 बैगलोर कर्नाटक, 3. बी. एच. नितेश कुमार पुत्र हरकचंद बोहरा जाति जैन निवासी फर्स्ट क्रास रार्बट्सन पेठ के0जी0एफ0 बैगलोर कर्नाटक वाद में न तो प्रार्थीगण बनाये गये और न ही अप्रार्थीगण तथा वाद के अप्रार्थीगण संख्या 5 आशा पत्नी संजय संचेती एवं संख्या 6 सरिता पत्नी अरविन्द संचेती उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में न तो प्रथम पक्षकार है न ही द्वितीय पक्षकार। इन दोनो अप्रार्थीगण संख्या 5 आशा एवं अप्रार्थी संख्या 6 सरिता ने उक्त कथित "आपसी सहमति एग्रीमेन्ट" के द्वितीय पक्षकार को पुश्तैनी कृषि भूमि के उनके हक हिस्से के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया हुआ नहीं है। प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार को आवासीय भूखण्ड डेवलप कर उसका व्यापार करने हेतु भागीदारी फर्म मरूधर प्रोपर्टीज का गठन करने का झांसा देकर के उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट का निष्पादन करवाया तथा उक्त आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में वर्णित प्रथम पक्ष ने पहले ही भंग कर दिया एवं उक्त आपसी सहमति का एग्रीमेन्ट भंग हो जाने से अस्तित्व में ही रहा। अब उस अस्तित्व विहिन "आपसी सहमति का एग्रीमेन्ट बता कर के प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी हक की कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा होना क्लेम कर रहे है, जो गैर कानूनी है। उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में जो शर्तें दी गई है उसमें मुख्य शर्त दिनांक 06/02/2013 को एक भागीदारी फर्म मरूधर प्रोपर्टीप के नाम से बनाया जाना एवं जिसके खातेदार उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में दर्ज प्रथम पक्षकार में से बी0एच0 नितेश कुमार पुत्र हरकचंद बोहरा का हिस्सा 65 प्रतिशत, द्वितीय पक्षकार में से अशोक संचेती का हिस्सा 35 प्रतिशत भागीदारी दोनो पक्षकार की निश्चित किया जाना बताया गया तथा उक्त फर्म का गठन दोनो पक्षकारान के उक्त सम्पूर्ण खातेदारी भूमि हस्तान्तरण, अन्तरण, नामान्तरकरण, विकास आदि के लिये किया जाना तथा उक्त भूमि सम्बन्धी तमाम उपयोग उपभोग, रूपान्तरण, नियमन सम्बन्धित तमाम उपयोग उपभोग, रूपान्तरण, नियमन सम्बन्धित हक अधिकार नवगठित फर्म मरूधर प्रोपर्टीज भागीदार नितेश कुमार एवं अशोक संचेती के द्वारा संयुक्त रूप से किये गये तमाम कार्यों एवं कार्यवाही हेतु पावंद रहना तथा दोनो पक्षकारान उक्त ऐसे कार्य अनुमोदित माना जाना बताया गया तथा उक्त आराजीयात में आवासीय कॉलोनी बनानी निश्चित किया जाना, जिस हेतु फर्म मरूधर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रोपर्टीज भागीदार नितेश कुमार एवं अशोक संचेती के द्वारा संयुक्त रूप से रूपान्तरण हेतु आवेदन, नक्शा, नाप–चौक, बाउण्ड्री वॉल, निर्माण एवं तमाम प्रकार के विकास कार्य करवाये जाना तथा जिनका तमाम व्यय उपरोक्तानुसार नितेश कुमार का 65 प्रतिशत तथा अशोक संचेती का 35 प्रतिशत रहना बताया गया। जबकि न तो मरूधर प्रोपर्टीज किसी भागीदार फर्म का विधिवत गठन किया गया। न ही उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में दर्ज वादग्रस्त कृषि भूमि का न तो विकास किया गया और न ही आवासीय कॉलोनी बनायी गयी, न ही उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में दर्ज वादग्रस्त कृषि भूमि का न तो विकास किया गया और न ही आवासीय कॉलोनी बनायी गयी, न ही उक्त भूमि के सम्बन्धित तमाम उपयोग, उपभोग, रूपान्तरण, नियमन कथित मरूधर प्रोपर्टीज के अधीन रखा गया, प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पति में से प्रार्थना पत्र पद संख्या 2(ए) एवं (बी) में दर्ज कृषि भूमि का अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर उसके खातेदारी हक का विक्रय कर दिया गया कोई आवासीय कॉलोनी नहीं बनायी गयी न तो रूपान्तरण हेतु आवेदन किया गया और न ही बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया गया। उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में स्पष्ट रूप से यह शर्त अंकित की गई की उपयोग, हस्तान्तरण, अन्तरण केवल आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु ही किया जा सकेगा अन्य किसी रीति से उक्त भूमि अथवा उसके भाग का अन्तरण, विक्रय इत्यादि नहीं किया जा सकेगा। यह भी अंकित है कि आवासीय कॉलोनी के भूखण्डो का हस्तान्तरण, अन्तरण आदि दोनो पक्षकारान नितेश कुमार एवं अशोक संचेती की संयुक्त सहमति से ही किया जायेगा। जबकि न तो आवासीय कॉलोनी के भूखण्ड बने न ही उनका बेचान, अन्तरण आदि नितेश कुमार व अशोक संचेती की संयुक्त सहमति से किया गया। यह शर्त भी अंकित है कि विक्रय सुदा भूखण्डो का प्रतिफल दोनो पक्षकारों के द्वारा संयुक्त रूप से एक संयुक्त खाते में जमा किया जावेगा जबकि कोई संयुक्त खाता न तो किसी बैंक में खोला गया और न ही भूखण्डों का विक्रय हुआ, न ही प्रतिफल राशि संयुक्त खाता में जमा की गई। उस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में यह भी शर्त दर्ज है कि कोई भी पक्षकार निजी रूप से किसी प्रकार का प्रतिफल राशि, करार, मुख्तीयार, भोगेलाव, रहन आदि से उक्त सम्पति का अन्तरण नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अन्तरण शुन्य माना जावेगा। डिफाल्टर पक्ष क्षतिपूर्ति देने हेतु बाध्य रहेगा। जबकि इस शर्त का भी प्रार्थीगण ने खुला उल्लंघन किया है एवं प्रार्थना पत्र पद संख्या 2(ए) एवं (बी) के उनके खातेदारी हक का विक्रय स्वयं प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिया है तथा स्वयं डिफाल्टर है, इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण अवश्य आवश्यक कार्यवाही प्रार्थीगण के विरूद्ध करेगे। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा विक्रय कर दिये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अग्रक्रयाधिकार में बाधा पहुंची है, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 अपने अग्रक्रयाधिकार के सम्बन्ध में भी प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में यह शर्त भी अंकित है उक्त 25 खसरा नंबर 1690 से 1714 की आराजीयात में से रकबा एक बीघा कृषि भूमि का उपयोग अनिवार्य रूप से सामाजिक कार्य हेतु किया जावेगा यदि इस भूमि में किसी प्रकार का आवासीय या व्यसायिक उपयोग लिया गया तो उपरोक्त भागीदारी लागू की जावेगी। जबकि एक बीघा भूमि का उपयोग सामाजिक कार्य हेतु कार्य नहीं किया गया है। इस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में शर्त भी अंकित है कि प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी हेतु होने वाले तमाम व्यय के लिये मरूधर प्रोपर्टीज के भागीदार नितेश कुमार 65 प्रतिशत एवं अशोक कुमार संचेती 35 प्रतिशत भुगतान करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

जिम्मेवार रहेगे तथा अपने हिस्सेनुसार भूगतान करने हेतु विलम्ब पर डिफाल्टर पक्षकार क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु पाबंद रहेगा। इसके साथ यह भी अंकित है कि उक्त साईट प्लान से प्राप्त होने वाले तमाम दायित्व एवं अधिकार नवगठित फर्म मरूधर प्रोपर्टीज के भागीदार नितेश कुमार 65 प्रतिशत एवं अशोक कुमार संचेती 35 प्रतिशत के रहेगें। उक्त शर्त की पालना में न तो कोई प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी बनायी गयी और न ही मरूधर प्रोपर्टीज भागीदार फर्म का गठन हुआ और न ही उक्त साईट प्लान बनाया गया। ऐसी स्थिति में नितेश कुमार का 65 प्रतिशत हिस्सा एवं अशोक संचेती का 35 प्रतिशत हिस्सा की शर्त भी अस्तित्व से बाहर हो गयी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में अहम पक्ष नितेश कुमार हरकचंद बोहरा जाति जैन निवासी फर्स्ट क्रास रोड, रोबटशन पेठ के.जी.एफ बैगलोर कर्नाटक है जो कि इस प्रार्थना पत्र में न तो प्रार्थी है और न ही अप्रार्थी। इस प्रकार जबाब प्रा0 पत्र मय दस्तावेजात पेश कर अधिक्ता मय अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 सारहीन तथ्यहीन एवं औचित्यहीन होने से काबिल खारीज योग्य होने से खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से जबाबबुल जबाब पेश कर अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रा0 पत्र के पेज संख्या 02 पर अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र के पद संख्या 01(ए), 01(बी) में वर्णित कृषि भूमि को श्रीमति केली देवी पत्नि गणपतलाल, बालूराम पुत्र घीसाराम, आदूराम पुत्र घीसाराम व भंवरलाल पुत्र शंकरलाल को विक्रय कर दिया तथा इस तथ्य को प्रार्थीगण ने न्यायालय से छिपाया जो बात सरसर गलत है। जबकि प्रार्थीग्ण ने अपने प्रा0 पत्र के पैरा संख्या 06 में अपने 1/2 हिस्सा का बेचान करने का उल्लेख किया है तथा उक्त कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का है। जो अप्रार्थीगण के नाम होने के भी अंकित किये है। प्रार्थीगण ने कोई तथ्य नही छुपाया है। अप्रार्थीगण ने तथाकथित आपसी सहमति एग्रीमेंट अस्तित्व में नही होना लिखा है, जबकि उक्त आपसी सहमति एग्रीमेंट को अप्रार्थीगण ने आज तक किसी भी न्यायालय से निरस्त या शून्य नहीं करवाया गया है। इसलिए उक्त आपसी सहमति एग्रीमेंट प्रभावशील है। अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा0 पत्र के पेज नंबर 02 के अन्त में इस पद संख्या 01(सी) में वर्णित कृषि भूमि न तो प्रार्थीगण के खातेदारी की ओर न ही अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की खातेदारी एवं अप्रार्थी संख्या 06 की खातेदारी हक की होना लिखा, जो गलत है। उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 05 का नाम लिखा हैं। जो भूमि भी आपसी सहमति एग्रीमेंट में शामिल है। अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के पति के द्वारा उक्त कृषि भूमि सहित आपसी सहमति इकरारनामा लिखवाया है। अप्रार्थीगण स्वयं ने अपने संयुक्त रूप से रहना भी स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में उक्त आपसी सहमति इकरारनामा से अप्रार्थी संख्या 06 व 06 भी बाधित है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रा0 पत्र के पेज संख्या 03 पर पद संख्या 01(एफ) में वर्णित कृषि भूमि में सन 1985 से पूर्व चार आवासीय भूखण्ड बनाना बताया है तथा दिनांक 29.08.1995 को लक्ष्मीचंद ने 17×58½ गज तथा 10.02.1992 को अप्रार्थी संख्या 01 अशोक कुमार ने 51×175 गज का हरकचंद ने लक्ष्मीचंद को भूखण्ड संख्या पूर्व दिशा में तथा अप्रार्थी संख्या 01 अशोक कुमार के भुखण्ड के पश्चिम दिशा में जवरीलाल ने अप्रार्थी संख्या 01 अशोक कुमार के भुखण्ड के पूर्व दिशा में आवासीय प्रयोजनार्थ दिशा में स्थित भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ पटटा विलेख राजस्थान राज्यपाल की ओर से उपखण्ड अधिकारी सोजत से प्राप्त करना लिखा है। जबकि आपसी सहमति एग्रीमेंट दिनांक 07.02.2013 का है, ऐग्रीमेंट से पूर्व

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के परिवर्तन हुए हो तो इस प्रा0पत्र में लागू नहीं होते है। अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से एग्रीमेंट में अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के द्वारा सहमति नही देना लिखा है, जबकि इनके पति संजय संचेती व अरविन्द संचेती ने उनकी ओर से उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में एग्रीमेंट किया गया। जिससे अप्रार्थी संख्या 05 व 06 भी बाधित है। अप्रार्थी ने आपसी सहमति एग्रीमेंट दिनांक 07.02.2013 का निष्पादित नहीं करना बताया है, जबकि अप्रार्थीगण स्वयं ने उक्त एग्रीमेंट में वर्णित शर्ते लागू करने का उल्लेख अपने जबाब प्रा0 पत्र में किया है तथा पैरा संख्या 05 में उक्त एग्रीमेंट की शर्तो की पालना नहीं करने के भी कथन कर रहे है। अप्रार्थीगण ने विशेष उज्ररात में प्रार्थीगण द्वारा मुख्तीयार का विलोपन कर कूटरचना करना बताया गया है, जो कथन सरासर गलत एवं झूठ है, किसी भी मुख्तीयार का विलोपन नही किया गया है। ऐसी कोई कूटरचना कर फोटोकापी पेश नही की गई है। आपसी सहमति एग्रीमेंट में किसी प्रकार की कोई कांट छांट नही की गई है तथा न ही कोई अन्य नये तथ्यों को जोड़ा गया है, जिससे कोई अपराध गढ़ित नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने विनोद कुमार व नितेश कुमार को पक्षकार नहीं बनाने के कथन किये गये, जबकि विनोद कुमार व नितेश कुमार प्रार्थी हरकचंद के ही पुत्र है। अप्रार्थीगण ने विशेष उजरात के पैरा संख्या 03 में आपसी सहमति का एग्रीमेंट भंग हो जाने से अस्तित्व में नही होना लिखा है, जबकि एग्रीमेंट प्रभावशील है। जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रा0 पत्र में उक्त नये तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अतः [illegible] जबाब पेश कर प्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा0 पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद निर्णय तक पुख्ता किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच उपरोक्त वर्णित वादस्थ आराजी कृषि भूमि का आपसी सहमति से जरिये एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 को आपसी सेटलमेंट कर 65 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थीगण का निर्धारित कर उसी अनुसार मौके पर काबिज हो गये थे। प्रार्थीगण ने अपने 1/2 हिस्सा यानि 50 प्रतिशत हिस्सा का बेचान कर दिया तथा उक्त कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम रहा। उक्त 15 प्रतिशत हिस्से की भूमि की मांग प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से की गई तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लगें तथा एक साथ उपस्थित होकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु आश्वासन देते रहे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में से 15 प्रतिशत हिस्से की रजिस्ट्री करवाने हेतु दिनांक 05/08/2019 को निवेदन किया तो अप्रार्थीगण बहाना बाजी करने लगें तथा उक्त भूमि में अपना नामान्तरकरण दर्ज करवाकर अन्य भू-माफियों को प्रार्थीगण के हिस्से सहित भूमि को बेचान हस्तानान्तरण करने पर आमदा हो गये। प्रार्थीगण द्वारा बार बार निवेदन करने पर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने से साफ इंकार कर दिया। प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि " किसी भी सूरत में 15 प्रतिशत हिस्सा नही देंगे यदि ऐसा करने में अप्रार्थीगण सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को को अपूर्णीय क्षति होंती। जिससे दिनांक 13.09.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद निर्णय तक पुख्ता किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब में लिखित बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि में 15 प्रतिशत हिस्सा आपसी सहमति एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 को आपसी सेटलमेन्ट कर 65

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा अप्रार्थीगण का निर्धारित कर उसी अनुसार मौके पर काबिज होना बताया एवम् प्रार्थीगण द्वारा 1/2 हिस्सा यानि 50 प्रतिशत हिस्सा बेचान कर देने से 15 प्रतिशत हिस्सा प्रार्थीगण का रहना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त 15 प्रतिशत हिस्से की रजिस्ट्री करवाने हेतु दिनांक 05/08/2019 को अप्रार्थीगण से निवेदन करना बताया गया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने से साफ इंकार करना एवम् प्रार्थीगण को यह एलानियां कहना किसी भी सूरत में 15 प्रतिशत हिस्सा नही देंगे कहना बताया गया। तब प्रार्थीगण द्वारा ऐसी स्थिति में वाद पेश करने के अलावा अन्य विकल्प नही होने से यह वाद (मूल वाद) बाबत खातेदारी हक की घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी पेश करना बताया गया है, यानि स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने जैसा कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में स्पष्ट किया है, यह मूल वाद एवम् प्रार्थना पत्र कथित एग्रीमेन्ट (आपसी सहमति इकरारनामा) दिनांक 07/02/2013 जिसे बहस में वकील प्रार्थीगण ने फैमेली सेटलमेन्ट होना बताया को आधारित कर 15 प्रतिशत हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। वह भी रजिस्ट्री करवाने हेतु निवेदन करने पर रजिस्ट्री नही करवाने पर प्रस्तुत किया है। एग्रीमेन्ट (आपसी सहमति इकरारनामा) क्या है, उसे पुरे पढ़ने पर ही ज्ञात हो सकता है।

AIR 2013 (NOC) 183 (DEL.) Ragni Chopra V. Rajesh & ors. (May)

(D) Deed - Construction में यह स्पष्ट रूप से अभिनिश्चित किया गया है कि दस्तावेज में क्या मूल शर्तें है यह जानने के लिए सिर्फ एक पद पढ़ना सही नही है। दस्तावेज के वास्तविक अर्थ मालूम करने के लिए दस्तावेज को पुरा पढ़ना होगा। उक्त दस्तावेज को पढ़ने मात्र से स्पष्ट होता है कि यह दस्तावेज फैमेली सेलटमेन्ट नही है।

AIR 2019 Andrapradesh H.C. 1 Koyya Ganga Venkata Satya Bhaskara Rao and another V. Koyya Rama Krishnudu and others. (July)

(A) दस्तावेज की प्रकृति क्या है, उसके अभिनिर्धारण के लिए दस्तावेज में किये गये अभिकथन पर निर्भरता रहेगी न कि उसके शिर्षक पर इस दस्तावेज जिस पर शिर्षक "आपसी सहमति एग्रीमेन्ट" लिखा गया है, वह "भागीदारी फर्म मरूधर प्रोपर्टीज" के नाम से बनाये जाने वाले 'भागीदारी विलेख' बनाने हेतु तय की गई शर्तो बाबत् एग्रीमेन्ट है। जबकि कोई "भागीदारी विलेख" विधिवत नही बनाया गया। उक्त कृषि भूमि का वादीगण एवम् प्रतिवादीगण ने आपस में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया है, जिसमें 65 प्रतिशत हिस्सा वादीगण का तथा 35 प्रतिशत हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है, यह दस्तावेज बंटवाड़ा का हो सकता है, बंटवाड़ा का दस्तावेज भी अपंजीकृत, अपर्याप्त मुद्रांकित होने से साक्ष्य में ग्राहय नही है। ऐसे अपंजीकृत, अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज बंटवाड़ा के आधार पर प्रार्थीगण अपने हक में खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण ने 15 प्रतिशत हिस्सा की रजिस्ट्री प्रार्थीगण के पक्ष में कराने से इन्कार कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार भी 15 प्रतिशत हिस्से के कोई खातेदारी हक उद्‌भूत नही हुए। रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 17 के अनुसार किसी भी अचल सम्पति के किसी भी तरह के स्वामित्व अन्तरण रजिस्टर्ड विलेख के द्वारा ही किया जा सकता है। आपसी सहमति एग्रीमेन्ट दिनांक 07/02/2013 रजिस्टर्ड प्रलेख नही है। यदि यह फर्म मरूधर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रोपर्टीज का भागीदारी विलेख हो तो भी रजिस्टर्ड प्रलेख नही है। भागीदारी विलेख भी पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है। जैसे कि अधिवक्ता प्रार्थी ने इस प्रलेख को बहस मे फेमिली सेटलमेन्ट होना बताया है, तो भी यह कथित फेमेली सेटलमेन्ट रजिस्टर्ड नही है। अनरजिस्टर्ड फेमेली सेटलमेन्ट साक्ष्य में ग्राहय नहीं है।

2011 RRD 56 Amarjeet Kaur VS Gurmel Singh में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अचल सम्पति (कृषि भूमि) के सम्बंध में कोई फेमेली सेटलमेन्ट है तो वह धारा 17 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिये।

AIR 2012 S.C. 206 Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. v. state of Haryana & Anr. में स्पष्टत: उल्लेख है कि अचल सम्पति का अन्तरण केवल पंजीकृत दस्तावेज द्वारा ही किया जा सकता है। सेल एग्रीमेन्ट, जनरल पॉवर ऑफ एर्टोनी, वसीयत से नही।

AIR 2013 Raj. 112-115 SMT Indu VS Narsingh Das And Others. (Jun-July) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनस्टाम्प, अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नही है, सामार्थिक रूप से भी ग्राहय नही है।

2002 RRD 582 Gokulchand Vs Ram sahay & others. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इकरारनामे के आधार पर कोई अधिकार सृजित नही होते है, इकरारनामे की पालना हेतु पिड़ित व्यक्ति सिविल कोर्ट में इकरारनामे के विनिर्दिष्ट पालन हेतु अधिकारी है। एस.डी.ओ. का आदेश अवैधानिक होने से अपास्त किया जाकर वाद खारिज किया गया। मूल वाद एवम् प्रार्थना पत्र में कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट के प्रथम पक्षकार बी.एच. विनोद कुमार व बी.एच. नितेश कुमार पक्षकार नही है। मूल वाद प्रार्थना पत्र के पक्षकार लीलावती वादी (प्रार्थी), आशा एवम् सरीता प्रतिवादी (अप्रार्थी) आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में पक्षकार नही है। कृषि भूमि की समस्त जमाबन्दीयो में दर्ज सभी खातेदारो को भी वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। वाद एवम् प्रार्थना पत्र पक्षकारो के गलत संयोजित करने एवम् संयोजित न ही करने के दोष से ग्रसित है।

2006 RRD 36 Jagadish Kumar and others Vs Banso @ Harbans Kaur and others में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रेकोर्डेड पक्षकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

2006 RRD 761 Jeeva and others Vs Rakma and others में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रेकोर्डेड पक्षकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

सभी वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण खातेदार नही है न ही प्रार्थीगण के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

1991 RRD 426 Sheo Sahay Vs L, Rs, of Smt. Mathuri -(149) में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अप्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकोर्डेड खातेदार है, जो वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रथम दृष्टया कब्जे में है। सूविधा के साथ साथ अपूर्णिय क्षति का पैमाना तक उनके पक्ष में है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपास्त करने में आर.ए.ए. ने कोई अनियमितता/गलती नही की।

2014 RRD 463 Gopa Ram and Others Vs Harimaram and others में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

2017 RRD 286 Smt Kamlesh Bawari Vs Ranjeet Singh and others में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
सांजत, जिला-पाली

प्रार्थी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी अधिकार का दावा नही कर सकता है, तथ्यो के समवृति निष्कर्ष निर्णित आदेश किसी शिथिलता, अवैध्यता या क्षैत्राधिकारीता की त्रुटी से ग्रस्ति नही है।

प्रार्थीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही खातेदारी घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण कतई उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर न तो खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा सकते है न ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा सकते है।

2008 (2003) DNJ S.C. 852 Rajindra Singh Vs Sate of Jamu and Kashmir and others. में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिर्फ सिविल कोर्ट को ही सार्वभौमिक अधिकारी, स्वामित्व, स्वत्व या उतराधिकार के अभिनिश्चय करने का अधिकार है।

प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अनवान प्रकरण का वाद एवम् प्रार्थना पत्र केवल और केवल मात्र एक अनरजिस्टर्ड, अर्प्याप्त मुद्रांकित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त दस्तावेज के आधार पर विधिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की न तो खातेदारी घोषणा प्रार्थीगण द्वारा करवाई जा सकती है न ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा अपना 65 प्रतिशत हिस्सा इस आपसी सहमति एग्रीमेन्ट के आधार पर प्रोदभुत होना बताया है, जबकि विधिक दृष्टिकोण से एग्रीमेन्ट के आधार पर किसी भी प्रकार के खातेदारी हक का अन्तरण नही हो सकता न ही एग्रीमेन्ट के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी हक का विनिर्धारण हो सकता है। प्रार्थीगण द्वारा वादस्थ कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1703 से 1711 जो कि रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में मरूधर एशोसियेश रोबशन पेट जरिये प्रतिनिधि पी. बस्तीमल का आधा हिस्सा एवम् हुकमीचन्द पुत्र पुखराज का आधा हिस्सा दर्ज था, जिसमें से पी. बस्तीमल के आधे हिस्से के स्थान पर हरकचन्द का 1/6 हिस्सा एवम् लीलावती का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा कर एवम् कृषि भूमि खसरा नम्बर 1690, 1691 व 1692 में मरूधर एशोसियेश रोबशन जरिये प्रतिनिधि पी. बस्तीमल 1/2 हिस्सा एवम् हुकमीचन्द 1/2 हिस्से में पी. बस्तीमल के आधे हिस्से के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा कर उसका विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख श्रीमती केलीदेवी, गणपतलाल, बालुराम, आदुराम एवम् भंवरलाल को दिनांक 29/07/2019 को कर दिया उस विक्रय पत्र में स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अपना 1/2 हक हिस्सा होना ही लिखवा कर बेचान किया है, जिससे अब प्रार्थीगण अपना 65 प्रतिशत हिस्सा होना बताने से एस्टोप्ड है। उस विक्रय विलेख में प्रार्थीगण ने इस तथाकथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट का उल्लेख तक नही किया। अब वह उस कथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट के अनुसार अप्रार्थीगण के बकाया शेष बचे हिस्से में अपना हिस्सा होना बिल्कुल अवैधानिक रूप से बता रहा है। आपसी सहमति एग्रीमेन्ट में लिखा गया है, वैसे मरुधर प्रोपर्टीज भागीदारी फर्म का आज दिन तक गठन ही नही हुआ है न ही एग्रीमेन्ट के पक्षकारान ने मरूधर प्रोपर्टीज के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग करते हुये न तो प्लोट काटे है न प्लोटो का कोई व्यापार किया है न ही उक्त एग्रीमेन्ट के आधार

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

पर कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज से वादग्रस्त सम्पति में से किसी भी भाग का अन्तरण हुआ है, जबकि इस एग्रीमेन्ट में सम्पूर्ण खातेदारी भूमि हस्तान्तरण, अन्तरण, नामान्तरणकरण, विकास आदि मरूधर प्रोपर्टीज के अधीन रखना बताया गया है व इसके दोनो पक्षकार नितेश कुमार व आशोक संचेती द्वारा तमाम कार्य एवम् कार्यवाही की जाना बताया है और नितेश कुमार को इस वाद में पक्षकार तक नही बनाया गया है। उस एग्रीमेन्ट के होते हुये भी प्रार्थीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि के अपने भाग का विक्रय कर दिया है। प्रार्थीगण ने स्वयं ऐसे तथाकथित आपसी सहमति एग्रीमेन्ट की शर्तो को भंग कर दिया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर जो प्रार्थीगण के द्वारा विक्रय किये जाने के पश्चात् जो शेष भाग बचा है उस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। कब्जे न होने के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में कोई किसी प्रकार की सहायता प्रदान नही की जा सकती। जिससे प्रा0 पत्र अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीएक्ट 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज योग्य होने से खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टान्त का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीगण ने पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर किये गये एग्रीमेन्ट दिनांक 07.02.2013 के माफिक प्रार्थीगण के नाम अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि दर्ज करवाने से मुकरने पर मूल वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण अपंजीबद्ध व अनस्टाम्पीत दस्तावेज के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, तथा सहमति एग्रीमेन्ट को आधार बनाकर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही पाया जाता है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। जिससे सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। लिहाजा तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का तथ्यहीन, सारहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली